पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्य एवं गतिविधियां

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत तैयार सूचना विवरणिका :–

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
डब्लूडब्लूडब्लू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने समय–समय पर राष्ट्र के पुलिस पद्धति व तंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 1963 में जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाया गया था,इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं अनुसंधान निदेशालय स्थापित किया गया था। 1966 में, पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परिषद का गठन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत अनुसंधान निदेशालय के कार्यों का निरीक्षण, मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए किया गया था। आधुनिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1970 में गृह मंत्रालय के आदेश सं0 – 8/136/68–पी (कार्मिक–1), दिनांक 28 अगस्त 1970 के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का गठन किया ताकि इस विषय में और रूचि लेकर अधिक मार्गदर्शन लिया जा सके और बदलते समाज के अनुरूप पुसि की समस्याओं का शीघ्र व व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके तथा देश में पुलिस व्यवस्था की पद्धतियों व तकनीकों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का शीघ्र प्रयोग किया जा सके।

गृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1973, के संकल्प सं0 34/173–बीपीआरडी/जीपीएक्स–1 के अनुसार अपराध शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान (आईसीएफएस) संस्थान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रशिक्षण निदेशालय का भाग था, जिसे कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक के सामान्य निर्देशन व पर्यवेक्षण में काम करना था।

संस्थान को पूर्ण रूप से एक अकादमिक (शैक्षणिक) संस्थान में विकसित करने के मूल उद्देश्य के साथ ही, अपराधशास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान (आईसीएफएस) संस्थान के निदेशक को पहले ही विभागाध्यक्ष संस्थान बना दिया गया है तथा यह भी निर्णय हुआ कि यह संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन एक पृथक संगठन के रूप में काम करेगा। वर्ष 1976 से एक अलग पूर्ण विकसित संस्थान के रूप में (आईसीएफएस) काम कर रहा है। (संकल्प सं0 4/20/70–एफ(पी), II/आईसीएफएस/जीपीए, I दिनांक 25 सितम्बर, 1976) ।

दिनांक 5 मार्च, 1991 में यह निर्णय किया गया कि संस्थान का परिवर्तित नाम ''राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान'' संस्थान होगा जो संस्थान के उद्दश्यों के अनुरूप हो । 2003 से संस्थान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध–शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान के रूप में काम करना शुरू किया। यह अपने नए परिसर सै0–3, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थापित होकर कार्य कर रहा है। (संकल्प सं0 25011/41/2001–जीपीए–11/पीएम, II दिनांक 31 दिसम्बर, 2002) ।

देश में राज्य स्तरीय न्यायालयिक विज्ञान सेवाओं की उपलब्धता एवं उनकी कमी तथा उनके आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं की जांच समय–समय पर विभिन्न समितियों द्वारा की गई है। यह सिफारिश की गई की कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता को पूर्ण रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि देश में अपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार हो सके। यह भी सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालयिक विज्ञान गतिविधियों का निरन्तर उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए

सभी केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान संस्थानों का एकीकरण गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए।

ध्यानपूर्वक सभी सिफारिशों पर विचार करने के बाद, भारत सरकार ने एक पृथक न्यायालयिक विज्ञान महानिदेशालय, नई दिल्ली में बनाने का निर्णय लिया जोकि प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करेगा। न्यायालयिक विज्ञान महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं जोकि कोलकाता, चण्डीगढ़ एवं हैदराबाद में हैं तथा सरकारी प्रश्न दस्तावेज परीक्षक कोलकाता, शिमला एवं हैदराबाद में हैं। महानिदेशालय के प्रमुख न्यायालयिक वैज्ञानिक हैं जिसका पदनाम – निदेशक–व–मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक है। इसने अपना कार्य दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से नई दिल्ली स्थित ब्लॉक सं0–9, सीजीओ परिसर, लोधी रोड में शुरू कर दिया। अब न्यायालयिक विज्ञान महानिदेशालय का नया नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा महानिदेशालय (डीएफएसएस) है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की संरचना

प्रारंभिक तौर पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्य की निम्नलिखित पांच कार्यनीति संबंधी चुनौतियां हैं :–

(क) सही समुदायों के बनने की प्रक्रिया पर न्यायोचित पुनर्विचार ।

(ख) अपराध एवं इसके सामाजिक संदर्भ के मध्य के सम्बंध को समझना ।

(ग) अपराध चक्र को शोध आधारित अंतःक्षेप का परीक्षण करके समाप्त करना ।

(घ) कार्य करने वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप साधन एवं तकनीक बनाना ।

(ड.) अतः अनुशासनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना।

इस समय में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में निम्नलिखित 6 निदेशालय हैः –

1. अनुसंधान एवं दोष सुधार प्रशासन निदेशालय
2. आधुनिकीकरण निदेशालय
3. प्रशिक्षण निदेशालय
4. राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय
5. विशेष यूनिट निदेशालय
6. प्रशासन निदेशालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
संगठनात्मक चार्ट

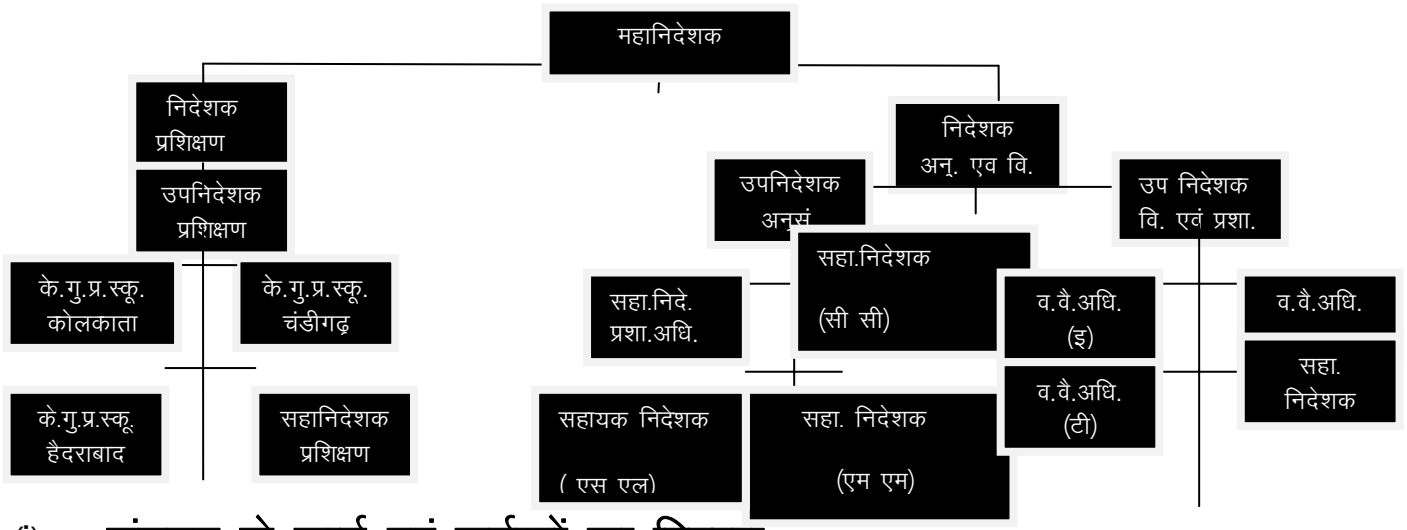

(i) संगठन के कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण :–

विभिन्न निदेशालयों के प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैः–

1.अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय

अनुसंधान निदेशालय 1970 में स्थापित किया गया था। निदेशालय का प्रधान, निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है। इनकी सहायता उपनिदेशक पुलिस/उप महा–निरीक्षक, सहायक निदेशक/सहायक महानिरीक्षक, साख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ विश्लेषक/पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ करते हैं। निदेशालय में कार्य के अनुसार निदेशक विभिन्न अधिकारियों को काम सौंपता है।

अनुसंधान निदेशालय के कार्यों के चार्टर में देश में पुलिस सेवाओं की जरूरतों एवं समस्याओं की पहचान करना एवं विभिन्न मंत्रालयों,अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख, संगठन, विश्वविद्यालयों/राज्यों, के पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों और अन्य एजेंसियों के साथ व इस विषय में अत्यधिक व रूचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ समन्वय कर इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रवर्तित, प्रोत्साहित और निर्देशित करना है ।

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय के निम्नलिखित अनुभाग हैं :–

(क) प्रशासन एवं संगठन अनुभाग का प्रधान सहायक निदेशक है एवं उसमें सहायक लिपिकवर्गीय कर्मचारी हैं।

(ख) अपराध एवं अपराधशास्त्र अनुभाग का प्रधान एक सहायक निदेशक है तथा उसमें सहायक व लिपिकवर्गीय कर्मचारी हैं।

(ग) विधि अनुभाग का प्रधान एक सहायक निदेशक है एवं उसमें अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(घ) सुरक्षा एवं कानूनी अनुभाग का प्रधान एक सहायक निदेशक एवं उसमें अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(ड.) हिन्दी अनुभाग का प्रधान संपादक हिन्दी है एवं उसमें अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(च.) प्रकाशन अनुभाग का प्रधान प्रचार अधिकारी है एवं उसमें अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(छ.) इंडियन पुलिस जर्नल अनुभाग का प्रधान एक संपादक है एवं उसमें अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

(ज.) पुस्तकालय अनुभाग का प्रधान एक सहायक निदेशक है एवं उसमें दो सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी व अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

अनुसंधान एवं सुधार निदेशालय में प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कारणों से काफी संख्या में पद रिक्त हैं। अनुसंधान निदेशालय, पुलिस अनुसंधान स्थाई समिति, जिसमें गृह मंत्रालय/पु0अनु0वि0ब्यूरो द्वारा मनोनीत सदस्य हैं,के सक्रिय सहयोग व दिशा–निर्देशन में साधारण तौर पर तीन वर्ष के लिए काम करता है। स्थाई समिति में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, अपराध–शास्त्र विशेषज्ञ एवं विधि व मीडिया के सदस्य हैं।

पुलिस अनुसंधान स्थाई समिति

पुलिस अनुसंधान की स्थाई समिति को उपयुक्त शोध विषयों का चयन करने में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का दिशा–निर्देशन करने एवं विशिष्ट छात्रों या शोध संस्थानों, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की सिफारिश करने एवं प्रभावशाली पुलिस कार्यक्रम एवं नीतियों की पहचान का कार्य सौंपा गया है।

विभिन्न शोध संस्थानों एवं शोध विद्यार्थियों से प्राप्त शोध अध्ययन प्रस्तावों की संवीक्षा कर स्थाई समिति के सदस्यों के समक्ष उनके सुझावों/सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्थाई समिति के सदस्यों की सहमति लेने के पश्चात् छात्रवृत्ति के लिए चयनित शोध अध्ययन को तीन समान किस्तों में बजट की राशि प्रदान की जाती है। किए जा रहे शोध अध्ययनों के मानीटरन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनुसंधान निदेशालय के अनुभागों की है जहां से अध्ययन प्रदान किया गया है। महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की शोध अध्ययन संबंधी छात्रवृत्ति प्रदान करने की वित्तीय शक्ति रू0 2.5 लाख है, जोकि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अनुदेशानुसार है, इससे अधिक की राशि के लिए मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक है।

डॉक्टरल (आचार्य) अध्येतावृत्ति (फैलोशिप)

अध्येतावृत्ति पुरस्कार समिति जिसमें सामाजिक विज्ञान, कानून एवं अपराध–शास्त्र के विशेषज्ञ सदस्य हैं, की सिफारिशों के आधार पर निदेशालय प्रत्येक वर्ष पुलिस विज्ञान एवं अपराध–शास्त्र में देश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यायों से पी0एच0डी0 कर रहे छात्रों को छह अध्येतावृत्ति प्रदान करता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्र के प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड करके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों से गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें रू0 40,000/– के दो नकद पुरस्कार होते हैं प्रत्येक पुलिस संबंधी विषयों पर पुस्तक लिखने के लिए होता है एवं रू0 30,000/– के पांच पुरस्कार तथा रू0 14,000/–के दो नकद पुरस्कार अनूदित पुस्तकों के लिए होंगे। निदेशालय प्रत्येक वर्ष पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान करता है। इसके लिए देश के सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में पुलिस से संबंधित विषय पर पांडुलिपियां आमंत्रित की जाती हैं। हिन्दी अनुभाग त्रैमासिक पत्रिका ''पुलिस विज्ञान'' का भी प्रकाशन करता है। इसके लिए सेवानिवृत्त, सेवारत पुलिस अधिकारियों, शोध छात्रों, प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ तथा पुलिस प्रशासन एवं कानून और व्यवस्था संबंधी विषय पर रूचि रखने वाले व्यक्तियों से लेख एवं शोध पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

निदेशालय अंग्रेजी भाषा में त्रैमासिक पत्रिका इंडियन पुलिस जर्नल का प्रकाशन करता है। ब्यूरो द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त लेखों,इस जर्नल में प्रकाशित लेखों की संवीक्षा करता है।

ब्यूरो के पुस्तकालय में 25,000 पुस्तकों, शोध अध्ययन प्रतिवेदन, संदर्भ पुस्तकें, पी0एच0डी0थीसिस एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं का श्रेष्ठ संग्रह है।

निदेशालय समय–समय पर संगोष्ठी, कार्यशालाएं तथा सम्मेलनों का आयोजन, राज्य पुलिस संगठन तथा इस क्षेत्र के अन्य संस्थानों के साथ मिलकर पुलिस संगठन एवं उनके कार्य से संबंधित व अन्य सामाजिक मामलों व विभिन्न सामाजिक विषयों पर करता है।

अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निदेशालय नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय वर्ष में दो बार राष्ट्रीय पुलिस महिला (''नेशनल कांफ्रेंस फॉर वीमेन इन पुलिस'') सम्मेलन का आयोजन करता है।

प्रशासन दोष सुधार स्कंध

(1980–83) में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवेदन के सोलहवें अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रीय कारागार आयोग की स्थापना से संबंधित है। गृह मंत्रालय के दिनांक 16 नवंबर, 1995 के पत्र सं0 VII 1108/14/92/-GPA. IV के द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत प्रशासन सुधार स्कंध की स्थापना की गई थी तथा इसके कार्यों के चार्टर में , जेल प्रशासन की समस्याओं से संबंधित अध्ययन की जिम्मेदारी एवं इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। इन कार्यों

के अनुपालन में यह स्कंध न केवल इस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है बल्कि साथ ही साथ कारागार अधिकारियों के लिए राज्य सरकारों के कारागार विभाग तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यह स्कंध लोक–नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनकर अनुसंधान परियोजनाएं लेता है। इस संबंध में प्राथमिकता विभिन्न मंचों पर राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर सुनिश्चित की जाती है जैसे जेल सुधार की सलाहकार समिति, राज्यों के जेल विभागों के प्रधानों की क्षेत्रीय बैठकें एवं जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इस स्कंध का प्रधान उपनिदेशक होता है तथा उनके साथ सहायक निदेशक होता है। प्रशासन सुधार स्कंध का इसकी गतिविधियों में मार्गदर्शन सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है जिसमें कानूनी क्षेत्र, प्रशासन सुधार, सामाजिक कार्य, न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कार्यरत जेल सुधार सलाहकार समिति प्रशासन सुधार से संबंधित कार्यों में मार्गदर्शन करती है।

प्रशासन सुधार के कार्य एवं कर्त्तव्य

- कारागार सांख्यिकी तथा राष्ट्र में जेल प्रशासन को प्रभावित करने वाली आम समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण ।
- प्रशासन सुधार के क्षेत्र में राज्यों की संगत सूचनाओं का समावेशन और उनका प्रसार करना।
- प्रशासन सुधार के क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रशासन सुधार संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों का समन्वय करना तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर शोध अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए में दिशा–निर्देश तैयार करना।
- बदलती सामाजिक परिस्थितियों, नई वैज्ञानिक तकनीकों के प्रवर्तन एवं अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- प्रशासन सुधार के क्षेत्र में जेल स्टॉफ को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम,पाठ्य–विवरण,पाठ्यचर्या सहित एकरूप प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना।
- प्रशासन सुधार के क्षेत्र में प्रतिवेदनों, न्यूज लैटर, बुलेटिन का प्रकाशन तथा दृश्य–श्रव्य यंत्र आदि तैयार करना।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेल प्रशासन के कार्यकर्ताओं को जुटाने का कार्य स्कंध द्वारा सक्रियता से किया जा रहा है। इस कार्य के लिए उन्हें एक औपचारिक तथा अनौपचारिक मंच प्रदान किया जाता है ताकि वे परिचालन स्तर पर उनको आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में एक–दूसरे के साथ बातचीत कर सकें।

इस प्रक्रिया से जेल सुधार के क्षेत्र में कुछ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो निम्नलिखित हैं :–

1. श्रेष्ठ जेल प्रथाओं (प्रणाली) को खोजकर भारतीय संदर्भ में उनका क्रियान्वयन करना।

2. अनुसंधान एवं विकास यूनिट की स्थापना, उनके जेल निदेशालय में करके राज्य स्तर पर जेलों के लिए शोध आधारित डाटा आधार का विकास करने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को समय पर अपेक्षित डाटा भेजकर ''भारत में कारागार'' का प्रकाशन व्यापक रूप में हो सके।

3. जेल सुधारों में प्राथमिकता के आधार पर मानक बनाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में उन्नत शोध को बढ़ावा दिया जा सके।

4. राज्यों को निधि आवंटित करने के मानदंड निर्धारण करने के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित जेल प्रबंधन का आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन, आधुनिकीकरण करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान, इस स्कीम के अंतर्गत जेल संबंधी योजना का प्रारंभ एवं जारी की गई धनराशि के उपयोग का मानीटरन करना।

5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेल स्टॉफ को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ।

6. निजी/ स्वयं अनुबंध आधार पर कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सशक्त बना कर जेलों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है।

7. राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कारागार सेवा को उपयुक्त मान्यता देना एवं कारागार अधिकारी की संवर्ग /सेवा संबंधी योजना बनाना।

8. नई जेलों के निर्माण के लिए एक मानक मॉडल योजना का विकास करने की जरूरत है।

9. एक नए कानून द्वारा भारतीय जेल अधिनियम, 1894 को बदलने की जरूरत है तथा पूरे देश में जेलों के कार्यों में एकरूपता रखने के लिए एक नई मॉडल जेल नियमावली बनाने की जरूरत है।

10. जेलों में प्रबंधन की गुणवत्ता हेतु सुधार प्रशिक्षण में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

इस संबंध में सभी प्रस्ताव एवं पत्र महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पते पर संबोधित होते हैं। अनुसंधान एवं सुधार प्रशासन निदेशालय से संबंधित पत्र निदेशक/महानिरीक्षक को चिन्हित किए जाते हैं, उसकी अनुपस्थिति में उपनिदेशक या सहायक निदेशक सुधार प्रशासन निदेशालय की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा। प्रस्तावों/पत्रों की दैनिकी का कार्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के केन्द्रीय डायरी अनुभाग में किया जाता है। संबंधित अनुभाग को कागज–पत्र भेजकर निदेशालय के प्रधान को प्रस्तुत किए जाते हैं।

आधुनिकीकरण निदेशालय

आधुनिकीकरण निदेशालय की स्थापना 1970 में की गई थी। निदेशालय का प्रधान एक निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है एवं एक उपनिदेशक, तीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं दो वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक उनकी सहायता करते हैं।

2009 में जनशक्ति (स्टॉफ) के संबंध में निदेशालय का विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पहले से अधिक पद सृजित किए गए जैसे–प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक–विस्फोट/बैलिस्टिक, हथियार, वर्दी साज–सज्जा, जीवन विज्ञान, भवन व डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक, यातायात एवं परिवहन आदि।

निदेशालय राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अन्य वैज्ञानिक संगठनों, संस्थाओं एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों जोकि उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित हैं, से संपर्क रखता है, आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का समन्वय करता है एवं पुलिस उपकरण व प्रणाली में स्वदेशीय उत्पादन को बढ़ावा देता है।

आधुनिकीकरण निदेशालय से भारत व अन्य देशों में पुलिस कार्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का बराबर विकास करने तथा नई प्रक्रियाओं व कार्यविधियों का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है ताकि पुलिस की प्रचालन क्षमता में सुधार करने के लिए इसके कार्य में उपयुक्त उपस्कर व तकनीक के प्रवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके।

आधुनिकीकरण निदेशालय भारत सरकार को परामर्श देने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को जरूरत होने पर इसके प्रचालन क्षेत्र में आने वाले मामलों पर भी सलाह प्रदान करता है।

आधुनिकीकरण निदेशालय के निम्नलिखित स्कंध हैः–

(क) यातायात एवं परिवहन स्कंध
(ख) वर्दी साज–सज्जा स्कंध
(ग) आयुध (हथियार) स्कंध
(घ) इलैक्ट्रॉनिक्स स्कंध
(ड.) भवन एवं डिजाइन (अभिकल्प) स्कंध
(च) जीवन विज्ञान स्कंध
(छ) विस्फोटक/बैलिस्टिक (प्राक्षेविकी) स्कंध

उपर्युक्त संदर्भित प्रत्येक स्कंध का प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी होता है।

इन स्कंधों के कार्यों का चार्टर निम्नलिखित है :–

1. गृह मंत्रालय द्वारा गठित समूहों के साथ सहयोग ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबलों के लिए प्राधिकृत विभिन्न मदों के संबंध में गुणात्मक अपेक्षा विनिर्देशन (क्यूआरएस) तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विकास किया जा सके।

2. भारत में पुलिस बलों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय, अन्य सरकारी एजेंसियों से निर्देश प्राप्त होने पर एवं स्वयं द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नए उपकरण का आधुनिकीकरण करना है :–

(क) अस्त्र–शस्त्र एवं गोला–बारूद,
(ख) दंगा नियंत्रण उपकरण,
(ग) यातायात नियंत्रण उपकरण,
(घ) आयुध (हथियार)
(ड) वस्त्र/वर्दी
(च) पुलिस भवन/डिजाइन,
(छ) पुलिस परिवहन, एवं
(ज) विविध वैज्ञानिक उपकरण, अन्वेषण संबंधी सहायक उपकरण सहित।

(3) विभिन्न उपकरणों के कार्य निष्पादन का प्रदर्शन व मूल्यांकन करना तथा गृह मंत्रालय एवं अन्य सरकारी एजेंसियों से निर्देश प्राप्त होने पर उनका उपयोग करना ।

आधुनिकीकरण निदेशालय द्वारा किए गए कुछ कार्य–कलाप इस प्रकार हैं :–
निम्नलिखित मदों के उत्पादन का प्रदर्शन

(क) बुलेट प्रूफ वाहन
(ख) बुलेट प्रूफ वाहन के लिए रन फ्लैट टायर
(ग) विस्फोटक का पता लगाने वाले यंत्र
(घ) डिजिटल वाइस लागर्स

नियत की गई कुछ गुणात्मक अपेक्षा (क्यूआर)परीक्षण निम्नानुसार किए जाते हैं :–

(1) हस्त लेसर रेंज फाइन्डर हेतु क्यू आर
(2) हस्त सर्चलाइट हेतु क्यू आर
(3) वीआईपी सुरक्षा हेतु प्रचलित बुलेट प्रूफ वाहनों के लिए क्यू आर
(4) केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बल हेतु कम वजनीय बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण मूल्यांकन करने के लिए गुणात्मक अपेक्षा और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस आ पी)
(5) केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बल हेतु हमला राइफलों की गुणात्मक अपेक्षा
(6) मारूति जिप्सी/टाटा 407 में रन फ्लैट प्रणाली द्वारा टायरों का गुणात्मक परीक्षण ।
(7) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मान प्राधिकार संबंधी निर्धारण
(8) अस्त्र–शस्त्र एवं गोला बारूद
(9) उपकरण
(10) बीपी सहित वाहन

प्रशिक्षण निदेशालय

गोरे समिति नामक पुलिस प्रशिक्षण समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के संकल्प सं0 34/1/73–पु.अनु.वि. ब्यूरो/जीपीए.। – के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर परामर्श/सलाह देने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना की गई थी।

प्रशिक्षण निदेशालय महानिरीक्षक/निदेशक के पर्यवेक्षण में काम करता है। निदेशालय में कार्यभार की उपलब्धता के आधार पर महानिरीक्षक/निदेशक अधिकारियों को कार्य सौंपता है।

प्रशिक्षण निदेशालय के कार्य निम्नलिखित हैं :–

(क) बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में पुलिस प्रशिक्षण की जरूरतों के अनुरूप समय–समय पर विश्लेषण करना ताकि पुलिस कार्य में ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों की शुरूआत की जा सके जो अपेक्षित चुनौतियों का सामना करे।

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य–विवरण और पाठ्यचर्या सहित प्रशिक्षण व्यवस्था में ऐसा मानकीकरण किया जा सके और एकरूपता लाई जा सके जो वांछनीय हो तथा ऐसे परिवर्तन और सुधार करने के लिए सुझाव दिए जा सकें जो पुलिस प्रचालन, प्रशासन और प्रबंधन में नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के लिए समय–समय पर आवश्यक समझे गए हैं।

(ग) कोलकाता, चण्डीगढ़ तथा हैदराबाद के केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।

(घ) विभिन्न ग्रेडों तथा स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए आवश्यक नए पुनश्चर्या, उन्नयन, विशेषज्ञ और अभिविन्यास पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता करना ।

(ड.) केन्द्रीय चिकित्सा–विधिक संस्थान एवं केन्द्रीय यातायात संस्थान की स्थापना से संबंधित कार्य करना।

(च) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से मानक नियमावली, पाठ्यपुस्तक, पैम्फलेट, लैक्चर नोट, विषय अध्ययन, व्यावहरिक अभ्यास एवं अन्य उपयोगी शिक्षावृद साहित्य इन संस्थानों में प्रयोग के लिए तैयार करना।

(छ) राज्यों में प्रशिक्षण से संबंधित संगत साहित्य का प्रयागकर्त्ताओं के परिचालन के लिए महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (प्रशि0) को वितरण करना ताकि वे नई प्रशिक्षण संकल्पनाओं से परिचित हों एवं उच्चतर रैंक के अधिकारियों में प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(ज) प्रशिक्षण हेतु उपकरणों तथा अन्य सहायक यंत्रों का मानकीकरण करना और उनके उत्पादन की व्यवस्था करना तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को पूर्ति करना।

(झ) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग के लिए फिल्म एवं सीडी का परिचल पुस्तकालय बनाना एवं व्यवस्थित रखना।

(त) देश में एवं देश से बाहर गैर–पुलिस संस्थानों के विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि उनके दृष्टिकोण का दायरा विस्तृत हो सके।

(थ) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख का वार्षिक परिसंवाद् एवं लघु संगोष्ठी पुलिस प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित करना।

(द) समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रीय सरकार के अधीन नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सुझाव देना।

(ध) भारत एवं विदेश में विभिन्न पुलिस कार्य आदि से संबंधित जैसे पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण विधि, अध्यापन,उपकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा साहित्य की सूचना के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(य) केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में साहित्य के आधुनिकीकरण में मदद करना।

(र) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण निदेशालय से संपर्क रखना, प्रशिक्षण संबंधी मदद के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) एवं कोलम्बो प्लान आदि परियोजनाएं एवं अध्येतावृत्ति देखना।

पुलिस प्रशिक्षण स्थाई समिति

गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्थाई समिति बनाई गई। गृह मंत्रालय समय–समय पर 2–3 वर्षों के लिए इसकी संरचना निश्चित करता है। समिति के प्रमुख केन्द्रीय गृह सचिव होते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक इस समिति का आयोजक होता है तथा इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग, राज्य पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सरकारी सदस्य होते हैं। निदेशक (प्रशि0) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, सदस्य सचिव हैं। तीन या चार गैर–सरकारी सदस्य,मीडिया, महिला कार्यकर्ता, प्रोफेशनल विशेषज्ञ एवं प्रबंधन आदि क्षेत्र से समिति में सम्मिलित किए जाते हैं।

पुलिस प्रशिक्षण स्थाई समिति के अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

(i) पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान करना।
(ii) पुलिस प्रशिक्षण में चहुमुखी सुधार करने की दृष्टि से(प्रोफेशन),वृत्ति शिक्षा, विज्ञान एवं उद्योग आदि से संगत विभिन्न संगठन/संस्थानों के साथ संपर्क रखना।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल चण्डीगढ़, कोलकाता एवं हैदराबाद स्थित हैं जिनका प्रमुख प्रधानाचार्य होता है जोकि पुलिस अधीक्षक/उप महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। प्रधानाचार्य अपने सहयोगियों जैसे– उपप्रधानाचार्य, पुलिस उपाधीक्षक (अनुदेशक), निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ विभिन्न पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं। दिन–प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी कार्य भी प्रधानाचार्य की देख–रेख में होते हैं। इन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं :–

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद की स्थापना 1964 में की गई थी जिसका प्रमुख प्रधानाचार्य, (पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होता है) तथा एक उप प्रधानाचार्य,) 7 पुलिस उपाधीक्षक (संकाय सदस्य), दो निरीक्षक एवं नौ कांस्टेबल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में उनकी सहायता करते हैं। स्कूल प्रत्येक वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले प्रशिक्षण कैलेंडर में 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । 17 में से 2 पाठ्यक्रम वैज्ञानिक अंवेषण (उन्नत)से संबंधित है जो कि प्रत्येक 13 सप्ताह की अवधि का है तथा अन्य पाठ्यक्रम अल्पावधि पाठ्यक्रम हैं ।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़ की स्थापना 1958 में हुई थी। जिसका मुखिया प्रधानाचार्य, (पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी) तथा अन्य अधिकारी एक उप प्रधानाचार्य, 7 पुलिस उपाधीक्षक (संकाय सदस्य), 2 निरीक्षक तथा 9 कांस्टेबल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। एक वर्ष में 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 17 में से 2 पाठ्यक्रम वैज्ञानिक जांच (उन्नत) जोकि प्रत्येक 13 सप्ताह की अवधि का तथा अन्य लघु अवधि के पाठ्यक्रम होते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़ की स्थापना 1974 में की गई । जिसका प्रमुख प्रधानाचार्य, (पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होता है) तथा एक उप प्रधानाचार्य, 7 पुलिस उपाधीक्षक (संकाय सदस्य), 2 निरीक्षक तथा 8 कांस्टेबल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में उनकी सहायता करते हैं। एक वर्ष में 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 17 में से 2 पाठ्यक्रम वैज्ञानिक जांच (उन्नत) जोकि प्रत्येक 13 सप्ताह की अवधि का तथा अन्य लघु अवधि के पाठ्यक्रम होते हैं।

उपर्युक्त स्कूलों की तरह ही भारत सरकार ने दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस) गाजियाबाद एवं जयपुर में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने गाजियाबाद के सीडीटीएस के लिए भूमि का आवंटन भी कर दिया है। निकट भविष्य में राजस्थान सरकार, जयपुर सीडीटीएस के लिए भूमि का आवंटन कर देगी।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण, अकादमी, की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जोकि राज्यों में सीधे तौर पर भर्ती किए गए पुलिस उपाधीक्षक के लिए मूलभूत प्रशिक्षण,राज्यों और केन्द्रीय पुलसि संगठनों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षकों तथा केन्द्रीय व राज्य पुलिस संगठनों के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।

इन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके देश के विभिन्न भागों के अंवेषण अधिकारियों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों में रिक्तियां काफी संख्या में हैं क्योंकि विभिन्न विभाग अभ्यर्थियों को भेजने में असमर्थ हैं।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2005 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन की स्थापना से संबंधित घोषण की गई थी, दिसंबर, 2005 से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण में यह कार्यरत है। राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय, अपर महानिदेशक के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है और महानिरीक्षक/निदेशक एवं छह पुलिस अधीक्षक उनकी सहायता करते हैं। निदेशालय में कार्य की उपलब्धता के आधार पर अपर महानिदेशक अधिकारियों को कार्य सौंपता है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में पुलिस बल को प्रभावकारी उपकरण के रूप में रूपांतरित करना इसका उत्तरदायित्व है । यह कार्य पुलिस के प्रति नयाा दृष्टिकोण बनाने के लिए उन्हें आवश्यक सामग्री,बौद्धिक तथा संगठनात्मक संसाधनों से सज्जित करके किया जाएगा ।

मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(क) बल मनोवृत्ति को सेवा मनोवृत्ति में बदल कर विशेष रूप से मूलरूप में व्यवहार संबंधी आवश्यक परिवर्तन लाना ।

(ख) आतंकवाद एवं विद्रोह को समूल नष्ट करने एवं साइबर तथा विशेष आर्थिक अपराधों से निपटने के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता लाना।

(ग) मेगा/मेट्रोपोलिटन पुलिस व्यवस्था की विशेष आवश्यकताओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने की प्रणाली पर ध्यान देना और

(घ) विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जहां तक संभव हो पुलिस नियमों एवं विनियमों में एकरूपता सुनिश्चित करना।

प्रशासन

प्रशासन निदेशालय का प्रमुख निदेशक होता है तथा उनकी उप निदेशक सहायता करता है । सहायक निदेशक (प्रशा.) को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है तथा वह सीधे तौर पर निदेशक एवं उपनिदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। सहायक निदेशक (प्रशा.) की सहायता प्रशासनिक अधिकारी करता है। प्रशासन निदेशालय एवं लेखा शाखा प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक निदेशक (प्रशा.) के नियंत्रण में कार्य करते हैं। सहायक निदेशक (प्रशा.) कार्यालय प्रमुख होने के साथ–साथ वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, नियमवली 1978 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी एवं विभिन्न नियमों के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख के कर्तव्य व उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

लिपिक वर्गीय संवर्ग स्टॉफ ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा मामलों को देखता है तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से संबंधित निदेशालयों की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रम को प्रशासनिक/बजटीय सहायता प्रदान करते हैं।

(i) इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय निदेशक/महानिरीक्षक(अनुसंधान) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। तथापि निदेशक/महानिरीक्षक (अनुसंधान) निदेशालय में कार्यभारक की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपता है।

आधुनिकीकरण निदेशालय

निदेशालय निदेशक/महानिरीक्षक(आधु.) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अन्य वैज्ञानिक संगठनों एवं संस्थानों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपर्युक्त क्षेत्र के उपक्रमों से संपर्क रखता है आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का समन्वय करता है एवं पुलिस उपकरण तंत्र (सिस्टम) के देशी उत्पादन को बढ़ावा देता है ।

प्रशिक्षण निदेशालय

प्रशिक्षण निदेशालय निदेशक/महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है तथापि,निदेशक/महानिरीक्षक/(प्रशि.) निदेशालय में कार्यभार की उपलब्धता के आधार पर अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल हैदराबाद, चण्डीगढ़, कोलकाता

सभी तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक/महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) के पर्यवेक्षण में कार्य करते है जोकि महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट करता है। तीनों सीडीटीएस का प्रमुख प्रधानाचार्य है तथा प्रत्येक प्रधानाचार्य को सेवाधीन पुलिस अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन उपप्रधानाचार्य, पुलिस उपाधीक्षक(अनुदेशकों), निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर करने की शक्ति दी गई। प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थानों का दिन–प्रतिदिन का प्रशासन कार्य देखता है एवं अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यों का आवंटन करता है ताकि प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य सहज हो ।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को भोपाल में बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए 100 एकड़ भूमि का आवंटन निशुल्क रूप में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के लिए किया है।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय अपर महानिदेशक (एडीजी) के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करता है एवं उनकी सहायता महानिरीक्षक/निदेशक एवं 6 पुलिस अधीक्षक करते हैं तथापि एडीजी निदेशालय में कार्यभार की उपलब्धता के आधार पर इसके अधिकारियों को कार्य सौंपता है।

प्रशासन

प्रशासन अनुभाग उपनिदेशक एवं निदेशक/महानिरीक्षक (अनुसंधान एवं विकास) के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करता है तथापि सहायक निदेशक (प्रशा.) अनुभाग के कार्यों की व्यवस्था करने के लिए अधीनस्थ स्टॉफ को ड्यूटी सौंपते हैं।

(iii) पर्यवेक्षण के माध्यम एवं (चैनल) जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :–

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय

सभी पत्र महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को संबोधित किए जाते हैं। अनुसंधान से संबंधित मामले निदेशक/महानिरीक्षक तथा उसका/उसकी अनुपस्थिति में उपनिदेशक (अनुसंधान) को चिहिन्त किए जाते हैं। अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय की गतिविधियों का उपनिदेशक (अनुसंधान) पर्यवेक्षण करता है।

प्रस्ताव/आवती आदि की प्रविष्टि, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के केन्द्रीय डायरी (दैनिकी) अनुभाग में की जाती है। सहायक निदेशक (प्रशा.) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के विभिन्न निदेशालयों के पत्र चिह्नित कर महत्वपूर्ण आवती/पत्रों को महानिदेशक तथा उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ निदेशक/महानिरीक्षक को दिखाते हैं। विभिन्न यूनिटों/निदेशालयों के पत्र आदि संबंधित निदेशालय के प्रमुख को प्रस्तुत किए जाते हैं।

संगठन के कार्य से संबंधित वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रेषित की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के कार्यों पर प्रत्येक तीन वर्ष बाद स्थाई समिति गठित की जाती है। केन्द्रीय गृह सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं तथा विधि, सामाजिक विज्ञान, अपराध–शास्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा राज्यों एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवारत महानिदेशक इसके सदस्य हैं। विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों से समय–समय पर प्राप्त शोध अध्ययन संबंधी प्रस्ताव या तो स्थाई समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं या समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को उनके मूल्यांकन एवं सहमति के लिए भेजे जाते हैं। स्थाई समिति के कम से कम तीन सदस्यों की सहमति प्राप्त होने पर, अनुमोदित प्रस्ताव की राशि तीन बराबर किस्तों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान निदेशालय देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. कर रहे छात्रों को पुलिस विज्ञान तथा अपराध–शास्त्र के क्षेत्र में 12 डॉक्टरल फैलोशिप प्रदान करता है। इस संबंध में प्रत्येक राज्य के प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। आवेदन स्वीकृत होने पर उनकी संविक्षा की जाती है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संगठनों जैसे

विधि, सामाजिक विज्ञान, एवं अपराध–शास्त्र के विशेष सदस्यों की फैलोशिप पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष ''पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना' के अंतर्गत निदेशालय पुलिस विज्ञान और अपराध–शास्त्र में पुस्तकें लिखने लिए लेखकों को प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में पुलिस विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों की मूल्यांकन समिति गठित कर पुरस्कार का निर्णय लिया जाता है। देश के प्रमुख समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर पुलिस से संबंधित बिषयों पर उपयुक्त पांडुलिपियां उस वर्ष के लिए चुनी जाती हैं।

आधुनिकीकरण निदेशालय

इस निदेशालय के सभी पत्र महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा महानिरीक्षक आधुनिकीकरण को संबोधित किए जाते हैं। आधुनिकीकरण निदेशालय मामलों से संबंधित पत्र निदेशक (आधुनिकीकरण) महानिरीक्षक तथा उनके/उनकी अनुपस्थिति में, उपमहानिरीक्षक/उप निदेशक (आधुनिकीकरण) को चिन्हित करता है तथा आधुनिकीकरण निदेशालय की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है।

इस निदेशालय के निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा लिए जाते है। इन समितियों का प्रमुख पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक/निदेशक होते हैं एवं इसमें विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों के चुने हुए सदस्य होते हैं। निदेशालय में काम करने वाली समितियां निम्नलिखित है :–

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नए अस्त्र–शस्त्र एवं उपकरण के समावेशन पर विचार करने वाली स्थाई समिति,
(ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में परिवहन प्राधिकार संबंधी स्केल पुनरीक्षण समिति
(iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की तकनीक व प्रौद्योगिकी की समीक्षा स्थाई समिति
(iv) आपदा प्रबंधन के उपकरणों के लिए गुणात्मक अपेक्षा समिति का गठन करने संबंधी समिति।

प्रशिक्षण निदेशालय

महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को संबोधित प्रशिक्षण से संबंधित सभी पत्र निदेशक/महानिरीक्षक को चिन्हित किए जाते हैं एवं उनकी अनुपस्थिति में, उप महानिरीक्षक/उपनिदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण निदेशालय की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

सभी प्रस्ताव/आवती सहायक/वैयक्तिक सहायक द्वारा प्राप्त कर प्रधानाचार्य को भेजे जाते हैं। सहायक/वैयक्तिक सहायक प्रस्तावों/आवतियों को संबंधित अनुभाग में भेजते हैं। विभिन्न अनुभागों में पत्रादि पर कार्रवाई की जाती है तथा सहायक द्वारा प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव/आवती पर प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किए जाते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़/कोलकाता

सभी प्रस्ताव/आवती सहायक/वैयक्तिक सहायक द्वारा प्राप्त कर प्रधानाचार्य को भेजे जाते हैं। सहायक/वैयक्तिक सहायक प्रस्तावों/आवतियों को संबंधित अनुभाग में भेजते हैं। विभिन्न अनुभागों में पत्रादि पर कार्रवाई की जाती है तथा सहायक द्वारा प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव/आवती पर प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रशासन

निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रत्यायोजित सीमा तक निदेशक(प्रशा0) के पास निहित है। प्रशासन निदेशालय से संबंधित मामले निदेशक (प्रशा0) को चिहिन्त किए जाते हैं जोकि उपनिदेशक (प्रशा.) के साथ प्रशासन निदेशालय की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते है। नियम (व्यवस्था) सहित प्रशासनिक मामलों पर प्रशासनिक निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाती है और वे प्रशासनिक निदेशालय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपनिदेशक(प्रशा.)तथा सहायक निदेशक(प्रशा.) के माध्यम से निदेशक(प्रशा0) को प्रस्तुत किए जाते हैं । सभी प्रस्ताव/आवतियां पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के केन्द्रीय डायरी (दैनिकी) अनुभाग में डायरी किए जाते हैं। सहायक निदेशक (प्रशा0) पत्रों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के विभिन्न निदेशालयों को चिहिन्त कर एवं महत्वपूर्ण आवतियों/पत्रों को महानिदेशक, को उप निदेशक एवं निदेशक (प्रशा.) के माध्यम से दिखाते हैं। इसके पश्चात विभिन्न यूनिटों/निदेशालयों में पत्रों पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें संबंधित निदेशालय के निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है।

सहायक निदेशक (प्रशा0) को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अंतर्गत आहरण एवं संवितरक अधिकारी कार्यालय प्रमुख बताया गया है तथा वे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 मूल नियम तथा अनुपूरक नियम के अंतर्गत दिए गए कार्यालय प्रमुख के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ।

ब्यूरो के कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रशा0 रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाती है।

(iv) अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय के कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है :–

(1) विभिन्न सरकारी साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों को शोध अध्ययन संबंधी अनुदान देना।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुलिस विज्ञान एवं अपराध–शास्त्र में बारह डॉक्टरल फैलोशिप प्रदान करना।

(3) हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए 8 पुस्तकों का चयन (5 मौलिक लेख हेतु, 2 अनूदित पुस्तक हेतु एवं एक पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत) करना

(4) गृह मंत्रालय की पुलिस बलों का आधुनिकीकरण क्रियान्वयन योजना समिति का सदस्य होने के कारण नए प्रस्तावों का निरंतर मोनिटरन व संविक्षा कर राज्य पुलिस संगठनों के आधुनिकीकरण को सरल बनाना।

(5) समिति की बैठकों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं में ब्यूरो द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और

(6) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से बैठकों का संचालन किया जाता है एवं संगठन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को नियमित करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

दोष सुधार प्रशासन

वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है:–

(क) देश में विभिन्न स्तर के कारागार कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना। राज्यों/संघ क्षेत्रों से नामांकन आमंत्रित करना।

(ख) प्रशिक्षण सामग्री, नियमावली एवं अनुरूपण अभ्यास आदि तैयार कराना।

(ग) दोष सुधार प्रशासन के क्षेत्र में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो प्राथमिकता के आधार पर शोध–परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी बैठक (मीट) की तरह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्विवार्षिक अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी मीट का आयोजन करता है। ताकि जेल कार्मिकों में व्यावसायिक कौशल एवं नेतृत्व शैली का विकास हो। इससे पूरे देश के जेल कार्मिकों को अपना मनोबल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्विवार्षिक रूप से सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक (कारागार) एवं सचिव का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करता है।

आधुनिकीकरण निदेशालय

वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है :–

(i) गृह मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी, समिति से विचार विमर्श करके केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए उपकरण, अस्त्र–शस्त्रों सहित नई वस्तुओं का समावेश करने पूर्व उनकी जांच करना।

(ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यकृत/प्रशासन, स्थापना हेतु परिवहन प्राधिकार स्केल की जांच करना।

(iii) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण की संवीक्षा करना।

(iv) हथियार शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न मदों,केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए समावेश किए जाने वाले संचार व निगरानी उपकरण की गुणात्मक अपेक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा गठित अन्य समितियों के साथ सहयोग करना ।

(v) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न नई मदों के परीक्षण में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में सहयोग करना ।

(vi) पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए संगत नए उत्पादों और प्रणाली का प्रस्तुतीकरण करने की व्यवस्था करना।

प्रशिक्षण निदेशालय

वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है :–

(i) देश में विभिन्न स्तरों के पुलिस कार्मिकों हेतु पाठ्यक्रम आयोजित करना/प्रशिक्षण कैलेण्डर भी तैयार किया जाता है एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।

(ii) प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना–विषय अध्ययन, नियमावली, प्रायोगिक अभ्यास, पाठ्य पुस्तकें,/प्रशिक्षण फिल्म आदि क्रय करना/ बनाना।

(iii) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का वार्षिक परिसंवाद आयोजित करना, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है तथा सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है :–

(i) प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना

(ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार प्रशिक्षण सामग्री को अद्यतन करना।

(iii) नवीनतम प्रशिक्षण फिल्म/सीडी, उपकरणों का क्रय करना।

(iv) प्रशिक्षुकों की क्रमिक विकास रिपोर्ट के अनुसार उपचारात्मक सुधार करना

(v) संशोधित प्रश्न बैंक बनाना, एवं

(vi) अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना एवं विभिन्न परीक्षण आयोजित करना/अन्य न्यायाधीशों का पर्यवेक्षण करना ।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यरो, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।

(ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा बैठकों में लिए गए निर्णयों को संप्रेषित किया जाता है। जिनका अनुपालन किया जाएगा ।

(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर पुलिस अनुसंधान एवं विकास नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कराना।

(iv) मंत्रालयों (गृह मंत्रालय, वित मंत्रालय, आदि) के विभिन्न परिपत्र)

(v) विभागीय परिपत्र ।
(vi) मासिक बैठकें संचालित करना एवं संगठन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को नियमित करने के लिए निर्णय लेना ।
(vii) व्यय समीक्षा बैठकें संचालित करना।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन ।
(ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा बैठकों में लिए गए निर्णयों को संप्रेषित किया जाता है। जिनका अनुपालन किया जाएगा ।
(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कराना।
(iv) मंत्रालयों (गृह मंत्रालय, वित मंत्रालय आदि) के विभिन्न परिपत्र।
(v) विभागीय परिपत्र ।
(vi) मासिक बैठकें आयोजित की जाती है तथा संगठन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को नियमित करने के लिए निर्णय लेना ।
(vii) व्यय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

प्रशासन

भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों पर विस्तृत नियम, विनियम/मानक बनाए हैं तथा प्रशासन निदेशालय द्वारा उन्हीं का अनुसरण किया जाता है।

(v) कार्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम विनियम, अनुदेश एवं अभिलेख

अनुसंधान निदेशालय

1. भारत का संविधान
2. मुख्य अपराध विधि नियमावली
3. विशेष एवं स्थानीय विधि नियमावली
4. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो संकल्प
5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस नियमावलियां
6. अखिल भारतीय सेवा नियम पुस्तक
7. पुलिस ड्रिल नियमावली(मैनुअल)
8. आयोग एवं समिति प्रतिवेदन (रिपोर्ट)
9. राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट
10. अन्य पुलिस सुधार समितियां/आयोग की रिपोर्ट

11. पुलिस अनुसंधान स्थाई समिति
12. पुलिस विज्ञान एवं अपराध–शास्त्र में डॉक्टरल फैलोशिप कार्यक्रम समिति।
13. शोध अध्ययन से प्राप्त सामग्री जिनका उपयोग पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु चयन करने में किया जाता है।
14. विभिन्न पुलिस संगठनों से प्राप्त फीडबैक

आधुनिकीकरण निदेशालय

(i) उपकरण मानकों पर अखिल भारतीय पुलिस वायरलैस नियमावली(2000)
(ii) राष्ट्रीय न्याय संस्थान–नियमावली
(iii) उत्पादकों की सामान्य विवरणिका
(iv) पुस्तकालय में उपलब्ध पत्रिकाएं

प्रशिक्षण निदेशालय

(i) पुलिस प्रशिक्षण के लिए बाइबल – पुलिस प्रशिक्षण समिति संबंधी रिपोर्ट (गोरे समिति रिपोर्ट)
(ii) राष्ट्रीय पुलिस आयोगों की रिपोर्ट
(iii) अन्य पुलिस सुधार समितियां/आयोगों का रिपोर्ट
(iv) समय–समय पर गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदेश
(v) शोध अध्ययन से प्राप्त सामग्री जिनका उपयोग पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु चयन करने में किया जाता है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय के प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित अनुदेश/नियम/विनियम का अनुपालन किया जाता है। प्रशासनिक/वित्तीय विषयों पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं केन्द्रीय सरकार के नियम, विनियम, अनुदेशों एफआर/डीएफपीआर आदि का अनुपालन किया जाता है।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

(i) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जोकि जनता के लिए नहीं है।
(ii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री जोकि केवल सेवारत पुलिस कार्मिकों के लिए है।
(iii) पुलिस कार्मिकों के कर्तव्य निर्वहन हेतु विभिन्न प्रपत्र जैसे – एफ.आई.आर, अपराध ब्योरा फॉर्म, संपत्ति खोज एवं अभिग्रहण फॉर्म, गिरफ्तारी/कोर्ट अभ्यर्पण प्रपत्र, आरोप पत्र/विषय (मामला) निपटान रिपोर्ट, अपील फार्म परिणाम, जांच–पड़ताल फार्म आदि एवं वित्तीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर ।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

(i) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जोकि जनता के लिए नहीं है।

(ii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री जोकि केवल सेवारत पुलिस कार्मिकों के लिए है।

(iii) पुलिस कार्मिकों के कर्तव्य निर्वहन हेतु विभिन्न प्रपत्र जैसे–एफ.आई.आर, अपराध ब्योरा फार्म, संपत्ति खोज एवं अभिग्रहण फार्म, गिरफतारी/कोर्ट अभ्यर्पण प्रपत्र, आरोप पत्र/विषय (मामला) निपटान रिपोर्ट, अपील फार्म परिणाम, जांच–पड़ताल फार्म आदि एवं वित्तीय वर्ष के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर ।

दोष सुधार प्रशासन

(i) अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980–83)
(ii) महिला कैदियों (1987) पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति
(iii) अपराधियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम (1955)
(iv) भारत में जेल प्रबंधन के लिए मॉडल जेल नियमावली (2003)
(v) संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण नियमावली/जेल प्रशिक्षण के संवर्धन हेतु मार्गदर्शिका
(vi) जेल अधिकारियों, आगंतुकों एवं कैदियों के कर्तव्य एवं अधिकारों पर पुस्तिका ।
(vii) अन्य जेल सुधार समितियों/आयोगों की रिपोर्ट ।
(viii) गृह मंत्रालय से समय–समय पर जारी किए गए अनुदेश,
(ix) शोध अध्ययनों से प्राप्त सामग्री का प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय–वस्तु का चयन करने में उपयोग।

प्रशासन

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील (सीसीएससीसीए) नियमवाली, आचरण नियमवाली, अनुशासन नियमावली, छुट्टी नियमावली, चिकित्सा परिचर्या पेंशन नियमावली, भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि।
(ii) मूल नियमावली एवं अनुपूरक नियमावली (एफआर एवं एस आर) वेतन नियमावली एवं यात्रा भत्ता (टीए) नियमावली, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), मकान किराया भत्ता (एचआरए), नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), कार्यग्रहण समय आदि।
(iii) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली ।
(iv) सामान्य वित्तीय शक्ति नियमावली ।
(v) आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमावली ।
(vi) सिविल लेखा नियमावली ।
(vii) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस),स्टाफ कार, आवास, अग्रिम ।
(viii) स्थापना एवं प्रशासन

(vi) इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों का वर्गीकरण –

अनुसंधान प्रभाग

(1) पुलिस संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के शोध अध्ययन के लिए पठन सामग्री ।
(2) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित और आन्तरिक शोध अध्ययन ।
(3) डॉक्टरल फैलोशिप योजना की थीसिस
(4) पुलिस ड्रिल नियमावली
(5) सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि से संबंधित सूचना
(6) पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कार्यवृत
(7) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलनों का कार्यवृत
(8) इंडियन पुलिस जर्नल एवं पुलिस विज्ञान के प्रकाशन
(9) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की प्रकाशित पुस्तकों का प्रायोजन
(10) पुलिस संगठन के डाटा (आंकड़ों) का प्रकाशन
(11) संवाद पत्र (न्यूज लैटर) का प्रकाशन

दोष सुधार प्रकाशन

(i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जेल अधिकारियों के लिए वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम)
(ii) जेल अधिकारियों के लिए जेल–प्रबंधन में मानव अधिकार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(iii) भारत में जेल प्रबंधन पर मॉडल जेल नियमावली (2003), 2011 में पुर्नप्रकाशित
(iv) जेल सुधार सलाहकार समिति की बैठकों की कार्रवाई

आधुनिकीकरण निदेशालय

(i) सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर, ग्वालियर द्वारा निर्मित टीयर गैस गन एवं टीयर स्मोक म्युनिशन का केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं सभी राज्य पुलिस बलों तथा अन्य संगठनों को आवंटन।

(ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अस्त्र–शस्त्र एवं उपकरणों सहित नई मदों का समावेश पर बनी स्थाई समिति की बैठकों की कार्रवाई।

(iii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के संरक्षण में की गई विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की जांच एवं मूल्यांकन रिपोर्ट।

(iv) राज्य पुलिस बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए तैयार किए गए सुरक्षा उपकरणों का स्केल, एवं प्राधिकार ।

प्रशिक्षण निदेशालय

(i) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए (वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ii) केन्द्रीय पुलिस बलों संस्थानों (बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसएसबी, असम राईफल्स) के मध्यम स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(iii) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल– चण्डीगढ़, हैदराबाद एवं कोलकाता के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(iv) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, प्रशिक्षण निदेशालय के प्रकाशन।

(v) भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख के परिसंवाद की कार्रवाई

(vi) पुलिस प्रशिक्षण स्थाई समिति की बैठकों की कार्रवाई

(vii) फिल्म प्रशिक्षण पुस्तकालय

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद में निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित सामग्री–अध्ययन/पाठ्यक्रम सामग्री एवं अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे–अतिथि प्राध्यापक एवं उनका जीवन वृत, मूल्यांकन प्रपत्र, प्रशिक्षुकों का पंजीकरण प्रपत्र, कार्यग्रहण रिपोर्ट, फोटो रजिस्टर, प्रायोगिक अभ्यास प्रपत्र।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

(1) मूल नियमावली/अनुपूरक नियमावली
(2) चिकित्सा परिचर्या नियमावली
(3) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली
(4) डी.डी.ओ नियमावली
(5) सीसीएस एवं सीसीए नियमावली
(6) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भर्ती नियमावली
(7) सामान्य वित्तीय नियमावली
(8) अखिल भारतीय सेवा नियम पुस्तक
(9) फाइल रजिस्टर
(10) पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो से प्राप्त अनुदेशों के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करना।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

(i) प्रत्येक वर्ष के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर

(ii) पुलिस अधिकारियों के प्रयोग के लिए विशेष विषयों पर प्रशिक्षण सामग्री।

प्रशासन

(i) व्यक्तिगत फाइल/सेवा पुस्तिका

(ii) दूरभाष रजिस्टर

(iii) स्टोर क्रय फाइल/माल सूची/स्टॉक रजिस्टर/उपभोज्य/गैर उपभोज्य ।

(iv) वार्षिक गोपनीय दस्तावेज

(v) वेतन बिल रजिस्टर

(vi) जीपीएफ समूह 'घ' खाताबही/ब्रॉडशीट
(vii) ऋण एवं अग्रिम रजिस्टर
(viii) आकस्मिक व्यय रजिस्टर
(ix) गैर आकस्मिक व्यय रजिस्टर
(x) नकदी पुस्तिका
(xi) पेंशन केस फाइल
(xii) आयकर रिकार्ड
(xiii) कल्याण अनुदान/कल्याण निधि रिकार्ड एवं रजिस्टर

लोक सदस्यों द्वारा नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित परामर्श या प्रतिनिधित्व संबंधी मौजूदा किसी व्यवस्था का विवरण

अनुसंधान निदेशालय

अनुसंधान निदेशालय में विभिन्न समितियां हैं जिसमें नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व मत देने के लिए जनता के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं :–

दोष सुधार प्रशासन

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जेल अधिकारियों के लिए वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम),
- जेल प्रबंधन में मानवाधिकार पर जेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- भारत में जेल प्रबंधन के लिए मॉडल जेल नियमावली (2003)
- जेल सुधार सलाहकार समिति की बैठकों की कार्रवाई

आधुनिकीकरण निदेशालय

ऐसा कोई निदेशालय नहीं है।

प्रशिक्षण निदेशालय

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां के जन प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाते हैं। पुलिस प्रशिक्षण समिति है जिसमें जनता के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो पुलिस प्रशिक्षण पर अपने विचार एवं मत देते हैं।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल में कार्यरत स्टाफ सदस्यों की मासिक बैठकें की जाती हैं। विभिन्न अतिथि संकाय के साथ परिचर्चा कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठन के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की बैठक की जाती है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

(i) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल में कार्यरत सदस्यों की मासिक बैठकें की जाती हैं।

(ii) विभिन्न अतिथि संकाय के साथ परिचर्चा कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है।

(iii) पुलिस कार्यों तथा उनके निष्पादन से संबंधित लोगों के साथ अनौपचारिक बैठक क्योंकि पुलिस कार्यों में जनता की मुख्य भूमिका होती है तथा इससे यह पता लगाया जाता है कि कहां प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

(iv) गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठन के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की बैठक की जाती है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता

(i) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल के सदस्यों की मासिक बैठकें आयोजित की जाती है।

(ii) विभिन्न अतिथि संकाय के साथ परिचर्चा कर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है।

(iii) पुलिस कार्यों तथा उनके निष्पादन से संबंधित लोगों के साथ अनौपचारिक बैठक क्योंकि पुलिस कार्यों में जनता की मुख्य भूमिका होती है तथा इससे यह पता लगाया जाता है कि कहां प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(iv) गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठन के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की बैठक की जाती हैं ।

प्रशासन

इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

(viii) बोर्ड (मण्डल) परिषद, समितियां एवं अन्य निकाय जिसमें दो या दो से अधिक सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त सूचना कि क्या इसकी बैठकें जनता हेतु खुली हैं या इन बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए प्राप्य हैं या नहीं।

अनुसंधान एवं दोष सुधार निदेशालय

(i) राज्यों/केन्द्र पुलिस संगठनों के पुलिस प्रमुख, विधि विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद आदि पुलिस अनुसंधान स्थाई समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ii) पुलिस विज्ञान एवं अपराध–शास्त्र डॉक्टरल फैलोशिप प्रदान करने वाली समिति में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संगठनों के प्रोफेसर एवं शिक्षाविद् हैं।

(iii) पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार समिति में अपराध शास्त्र, पुलिस विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य आदि के विशेषज्ञ हैं।

(iv) इंडियन पुलिस जर्नल के लिए अतिरिक्त बोर्ड

(v) पुलिस विज्ञान के लिए अतिरिक्त बोर्ड

(vi) पुस्तकालय पुस्तकों के चयन के लिए समिति। इन बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए प्राप्य है या नहीं।

प्रशिक्षण निदेशालय

(i) राज्य पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों की मदद से पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख परिसंवाद का आयोजन करते हैं। इस समारोह में पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रभारी) प्रशिक्षण स्थापना एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख भाग लेते हैं। 29वां परिसंवाद अक्टूबर, 2004 में त्रिसूर (केरल) में हुआ था।

(ii) पुलिस प्रशिक्षण पर स्थाई समिति, ब्योरा पहले ही ऊपर दे दिया गया है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद

(i) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल के सदस्यों की मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। विभिन्न अतिथि संकाय के साथ परिचर्चा कर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है।

(ii) गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठन के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की बैठक की जाती है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चण्डीगढ़

(i) वित्तीय नियमावली के अनुसार क्रय समिति में प्रधानाचार्य, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस उपाधीक्षक (प्रशा/निरीक्षक (प्रशा.) और कार्यालय सहायक होते हैं।

(xi) प्रस्तावित सभी योजना व्यय और संवितरण संबंधी रिपोर्ट का विवरण दर्शाते हुए इसकी प्रत्येक एजेंसी के लिए नियत किया गया बजट :–

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल को वर्ष 2012–13 के लिए बजट नियतन का विभाजन

वर्ष 2012–13 के लिए कुल नियतन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	=	83.71 करोड़
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस)	=	33.33 करोड़
केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी	=	47.00 करोड़
कुल	=	**164.04 करोड़**

(xii) सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका और नियत की गई राशि तथा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वालों का विवरण :–

अनुसंधान निदेशालय

1. समय समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी विभिन्न संगठनों के लिए कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों को प्रायोजित किया जाता है। इसके लिए कार्यशाला/सम्मेलन का विस्तृत प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए संगठन को तथा अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में ब्यूरो ने अखिल भारतीय अपराध शास्त्र, सम्मेलन के लिए एक लाख रू संबंधित संगठन को मंजूर किए हैं तथा उतरांचल में दूसरा राष्ट्रीय पुलिस महिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए ब्यूरो ने 4.9 लाख रू.मंजूर किए थे ।

2. पुलिस विज्ञान तथा अपराध–शास्त्र में डॉक्टरल कार्य के लिए 6 फैलोशिप देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पीएचडी कार्य करने के लिए प्रदान करने हेतु नियमित रूप से विज्ञापित की जाती हैं।

आधुनिकीकरण निदेशालय

नहीं है।

प्रशिक्षण निदेशालय

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तय की गई पाठ्यक्रम फीस/एवं बोर्डिंग/लाजिंग की दर के आधार पर भारत में विभिन्न शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक संस्थानों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय के अनुमोदन से प्रायोजित किए जाते हैं।

मध्यम स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय पुलिस बलों एवं केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। पुलिस प्रशिक्षण स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर और शोध अध्ययन से प्राप्त सामग्री तथा समितियों/आयोगों/गृह मंत्रालय/विशेष संगठनों आदि की सिफारिशों के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाती है।

देश के पुलिस कार्मिक इससे लाभान्वित होते हैं।

(xiii) इसके द्वारा दिए गए रियायत परमिट या प्राधिकार–पत्र पाने वालों का विवरण :–

शून्य

(xiv) उपलब्ध सूचना का ब्योरा ,इलेक्ट्रॉनिक फार्म में जारी

अनुसंधान निदेशालय

1. प्रायोजक सूची एवं आंतरिक शोध अध्ययन
2. पूरे किए गए एवं चल रहे पी.एच.डी थीसिस
3. पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार सूची
4. अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांगेस सूची
5. पुलिस विज्ञान एवं अपराध–शास्त्र में डॉक्टरल फैलोशिप के नियम एवं विनियम

प्रशिक्षण निदेशालय

- वर्ष 2005–06 के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर
- पुलिस अधिकारियों के प्रयोग के लिए विशेष विषयों पर प्रशिक्षण सामग्री,
- पुलिस प्रशिक्षण पर समिति की रिपोर्ट (गोरे समिति)
- राष्ट्रीय पुलिस आयोगों की रिपोर्ट

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल चण्डीगढ़

1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रपत्र
2. प्रशिक्षुकों के लिए कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रपत्र
3. प्रशिक्षुओं के लिए संचलन/कार्यमुक्त आदेश प्रपत्र
4. प्रशिक्षुओं को जारी किए जाने वाले प्रमाण'पत्र का प्रपत्र
5. पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका
6. पाठ्यक्रम कैलेण्डर
7. पाठ्यक्रम विषय वस्तु– महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुमोदन से अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझी (शेयर) की जा सकती है।
8. मूल्यांकन प्रपत्र

(14) उपलब्ध सूचना का ब्योरा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी

1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रपत्र
2. प्रशिक्षुओं के लिए कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रपत्र
3. प्रशिक्षुओं के लिए संचलन/कार्यमुक्त आदेश प्रपत्र
4. प्रशिक्षुओं को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र
5. पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका
6. पाठ्यक्रम कैलेण्डर
7. पाठ्यक्रम विषय वस्तु–महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुमोदन से अनय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझी (शेयर) की जा सकती है।
8. मूल्यांकन प्रपत्र
9. केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद में संचालित सभी पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

<u>प्रशासन</u>

(क) वेतन पत्रक
(ख) आयकर विवरणी, टीडीएस प्रपत्र–16
(ग) व्यय एवं बजट
(घ) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
(ड) स्वीकृत पद, भरे हुए और रिक्त पदों का ब्योरा
(च) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रखरखाव का रिकार्ड
(छ) पेंशन प्रपत्र
(ज) दूरभाष निर्देशिका
(झ) मासिक रिपोर्ट एवं विवरणियां
(ढ़) स्वीकृत आदेश/प्रपत्र/विविध दस्तावेज आदि

(XV) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, इसमें पुस्तकालय या पठन कक्ष,यदि वे सार्वजनिक प्रयोग के लिए है, के कार्य घंटे भी शामिल हैं –

ब्यूरो के पुस्तकालय में पुस्तक,रिपोर्ट,थीसिस और इंसाइक्लोपीडिया आदि के जिल्दबंद खंड तथा पुलिस विज्ञान,अपराध शास्त्र,दोष सुधार प्रशासन,न्यायालयिक विज्ञान,विधि विषय की पत्रिकाओं का श्रेष्ठ संग्रह है । इसके साथ–साथ नियमित रूप से आने वाले शोध छात्रों,प्रोफेशनल शिक्षाविद और पुलिस अधिकारियों के लिए उनके अनुसंधान कार्यों में संदर्भ के लिए नियमित रूप से मैगजीन और समाचार पत्र रखे जाते हैं ।

(X) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक :–

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधिकारियों एवं सदस्यों की पेबैं, ग्रेड–पे एवं सकल वेतन सहित सूची ।

एक अप्रैल 2012 को

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पे–बैंड व ग्रेड वेतन	सकल वेतन
1	रिक्त	महानिदेशक		
2	के.एन.शर्मा	अपर महानिदेशक	67000–79000	125195
3	राधाकृष्णनन किनी ए.	निदेशक (अनुसंधान प्रभाग)	पेबैं–4–10,000/–	115194
4	डा. ईश कुमार	निदेशक (रा.पु.मिशन)	पेबैं–4–10,000/–	115288
5	श्रीमती रीना मित्रा	निदेशक (प्रशा.)	पेबैं–4–10,000/–	104292
6	श्रीमती निर्मल चौधरी	निदेशक (विशेष एकक)	पेबैं–4–10,000/–	108779
7	बी.बी. शर्मा	निदेशक (प्रशि.)	पेबैं–4–10,000/–	99030
8	आनन्द प्रकाश	निदेशक (आधुनिकीकरण)	पेबैं–4–10,000/–	
9	डा. बी.वी. त्रिवेदी	उप निदेशक (अनुसंधान)	पेबैं–4–8900/–	88970
10	इन्द्राज सिंह	उप महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)	पेबैं–4–8900/–	119873
11	पंकज	उप महानिरीक्षक (प्रशा.)	पेबैं–4–8900/–	133943
12	सुनील कपूर	उप महानिरीक्षक (विशेष एकक)	पेबैं–4–8900/–	116478
13	जी.एस. चौधरी	उप महानिरीक्षक (प्रशि.)	पेबैं–4–8900/–	115025
14	बी.के झा	उप महानिरीक्षक (रा.पु. मिशन)	पेबैं–4–8700/–	118697
15	सुल्तान अहमद	पुलिस अधीक्षक(रा.पु. मिशन)	पेबैं–4–8700/–	96457
16	डा. धनी राम	सहायक निदेशक (प्रशा.)	पेबैं–3–6600/–	60102
17	डा. तपन चक्रवर्ती	सहायक निदेशक (सीसी)	पेबैं–3–6600/–	60027
18	अंशुमन यादव	उप महानिरीक्षक (रा.पु. मिशन)	पेबैं–4–8900/–	98712
19	वनिता यादव	व.वै.अधिकारी (इलै.)	पेबैं–3–6600/–	53594
20	डी.सी. शर्मा	सं.स.निदेशक (सांख्यि.)	पेबैं–3–5400/–	54274

21	एच.पी. पाठक	सांखि. अन्वेषक–।	पेबैं–2–4600/–	46182
22	जगदीश लाल मीणा	सांखि. अन्वेषक–।	पेबैं–2–4600/–	40429
23	श्री एन.के. बनर्जी	अनुभाग अधिकारी	पेबैं–2–4800/–	39358
24	वी.बी. सुदर्शन	प्रशा. अधिकारी	पेबैं–2–4600/–	44179
25	जिले सिंह	वरिष्ठ निजी सचिव	पेबैं–2–5400/–	56079
26	रिक्त	प्रचार अधिकारी	पेबैं–2–4600/–	47197
27	जी.के.एन. चौधरी	संपादक (आई.पी.जे.)	पेबैं–2–4600/–	42083
28	दिवाकर शर्मा	सपादक (हिन्दी)	पेबैं–2–4600/–	43568
29	डा. रवि अम्बष्ट	उप पुलिस अधीक्षक	पेबैं–2–4600/–	42711
30	वाई.के शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	पेबैं–2–4600/–	40300
31	के.के. मीणा	कनिष्ठ विश्लेषक	पेबैं–2–4600/–	33828
32	मंजू कश्यप	वै. सहायक	पेबैं–2–4800/–	38663
33	इंदिरा कौशिक	निजी सचिव	पेबैं–2–4800/–	45078
34	सुरजीत कौर	निजी सचिव	पेबैं–2–4800/–	45078
35	रमेश सिंह	निजी सचिव	पेबैं–2–4600/–	34879
36	नीलम गेरा	निजी सचिव	पेबैं–2–4800/–	44472
37	एस.पी. गुप्ता	निजी सचिव	पेबैं–2–4600/–	44702
38	अजय चौधरी	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	पेबैं–2–4200/–	32744
39	एस.सी. डबराल	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	पेबैं–2–4200/–	28679
40	सुधाकर देशमुख	सहायक	पेबैं–2–4600/–	37636
41	जी. मूर्ति	लेखाकार	पेबैं–2–4600/–	44288
42	श्रीमती अनीता महाजन	सहायक	पेबैं–2–4200/–	32251
43	एस.के. पाल	सहायक	पेबैं–2–4600/–	42816
44	कृष्ण लाल	सहायक	पेबैं–2–4200/–	29593
45	एस.के. तोमर	सहायक	पेबैं–2–4200/–	28993
46	डी.के. मल्होत्रा	सहायक	पेबैं–2–4200/–	30540
47	इंदू नास्वा	वै. सहायक	पेबैं–2–4600/–	41294
48	हरजीत सिंह	वै. सहायक	पेबैं–2–4600/–	41256
49	दिनेश चंद	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	33097
50	संदीप सक्सेना	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	31988
51	रीता रॉय	वै. सहायक	पेबैं–2–4600/–	37243
52	ईश कुमार	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	33497
53	एस. नेसायन	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	28308
54	राजू के.	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	29177
55	दया राम	वै. सहायक	पेबैं–2–4200/–	43174
56	एम.एम. गौसल	उप पु.अधीक्षक	पेबैं–2–4600/–	34847
57	डा. रीता तिवारी	सांख्यिकी सहायक	पेबैं–2–4600/–	45900
58	राकेश नेगी	लेखाकार	पेबैं–2–4200/–	32608
59	राजेन्द्र कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	पेबैं–1–2800/–	28265
60	राम निवास	उच्च श्रेणी लिपिक	पेबैं–1–2400/–	24637

61	विजेन्द्र कुमार	उच्च श्रेणी लिपिक	पेबैं–1–2400/–	24392
62	एस.के. वर्मा	उच्च श्रेणी लिपिक	पेबैं–1–2400/–	22682
63	राजेश	आशुलिपिक	पेबैं–1–2400/–	24693
64	उमा सिंह	आशुलिपिक	पेबैं–1–2400/–	20034
65	रणवीर सिंह	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	पेबैं–1–2400/–	22776
66	वीरेन्द्र सिंह	हे. कांस्टेबल	पेबैं–2–4200/–	33454
67	ए. शोम	हे. कांस्टेबलच	पेबैं–1–2000/–	24881
68	सुखबीर सिंह	कांस्टेबल	पेबैं–2–4200/–	30878
69	रघुबीर सिंह	कांस्टेबल	पेबैं–2–4200/–	29645
70	ग्यासी राम	कांस्टेबल	पेबैं–2–4200/–	26560
71	श्रीनिवास शर्मा	कांस्टेबल	पेबैं–1–2800/–	26611
72	एस.के. डंगवाल	कांस्टेबल	पेबैं–2–4200/–	28946
73	वी.एस. बिष्ट	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	20391
74	त्रिलोकी नाथ	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	19861
75	प्रेम सिंह नेगी	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	20777
76	ओमप्रकाश	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	22964
77	डी. साहू	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	20823
78	विनोद शर्मा	कांस्टेबल	पेबैं–1–1800/–	20403
79	प्रेम चंद	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–1–2800/–	26197
80	भरत सिंह	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–1–2000/–	21389
81	ईश्वर सिंह	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–1–2000/–	21389
82	जगदीश लाल	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–1–1900/–	23348
83	ईश्वर चंद	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–1–2400/–	20425
84	लक्ष्मण राम	डि/राईडर	पेबैं–1–2000/–	22963
85	सुरेन्द्र कुमार	पुस्तकालय. परिचर	पेबैं–1–2400/–	25013
86	सुदेश कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2400/–	24439
87	नन्दन सिंह	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2400/–	25619
88	नरेश कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	22854
89	के. अन्नादुरई	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	22305
90	मुकेश कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	19161
91	रविन्द्र कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	19161
92	सुभाष चन्दर	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	19161
93	एन.आई. सिंह	एम.टी.एस.	पेबैं–1–1900/–	18087
94	राज कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–1900/–	21027
95	जितेन्द्र कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–1900/–	20297
96	फकीर सिंह बिष्ट	एम.टी.एस.	पेबैं–1–1900/–	17408
97	ब्रह्म प्रकाश	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	23520
98	प्रह्लाहद सिंह	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	23527
99	संत राम	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	23527
100	श्रीमती संतोष	एम.टी.एस.	पेबैं–1–2000/–	23527
101	विनोद कुमार	एम.टी.एस.	पेबैं–1–1900/–	15464
102	रवि कुमार	प्रबंधक	पेबैं–1–2000/–	21176

103	सुरेश चंद	कूपन लिपिक	पेबैं–1–1900/–	23411
104	सतवीर सिंह	हलवाई	पेबैं–1–2000/–	22427
105	जितेन्द्र कुमार	कैंटीन परिचर	पेबैं–1–1900/–	17392
106	सज्जन सिंह	कैंटीन परिचर	पेबैं–1–1800/–	14674
107	कमल सिंह	कैंटीन परिचर	पेबैं–1–2800/–	23143
108	धीरज यादव	सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
109	पंकज कुमार दास	सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
110	प्रशांत सूद	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
111	संदीप कुमार	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
112	दिनेश कुमार	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
113	संदीप शर्मा	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
114	दीपक बिष्ट	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
115	राजीव सूद	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
116	मुकेश कुमार	वैयक्तिक सहायक	पेबैं–2–4200/–	27908
117	सुमन सौरब	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	पेबैं–2–1900/–	15480
118	मुकेश कुमार	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	पेबैं–2–1900/–	15480
119	राकेश कुमार	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	पेबैं–2–1900/–	15480
120	सुधीप कनोजिया	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	पेबैं–2–1900/–	15480
121	महेश पस्सी	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–2–1900/–	15555
122	दीपक शर्मा	स्टॉफ कार चालक	पेबैं–2–1900/–	15555
123	विजय कुमार	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	14108
124	अंकित गुप्ता	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	14108
125	संदीप कुमार	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	14108
126	हेमन्त राज	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	14108
127	चंचल कुमार	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	14108
128	राजीव सूद	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	12008
129	राजेश कुमार	प्रयो. परिचर	पेबैं–2–1800/–	15056
130	सुभाष	बॉश व्यॉय	पेबैं–2–1800/–	14183

पेबैं–4 रु.37400–67000
पेबैं–3 रु.15600–39100
पेबैं–2 रु.9300–34800
पेबैं–3 रु.5200–20200

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

अधिकारियों एवं कार्यालय सदस्यों की निर्देशिका

ब्लॉक सं0 - 11, 3/4थी मंजिल, सीजीओ काम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

नाम और पद	टेलीफोन नं0.		
	सिविल	ईपीएबीएक्स एक्सटै.	ई-मेल पता
1	2	3	4
महानिदेशालय			
कुलदीप शर्मा महानिदेशक	24361849	103	dg@bprd.nic.in
जिले सिंह वरिष्ठ निजी सचिव	24361849	107/181	
ईश कुमार वैयक्तिक सहायक	24361849	130	
अपर महानिदेशक	24360032	123	spldg@bprd.nic.in
श्रीमती इंदिरा कौशिक निजी सचिव	24360032	187	
आधुनिकीकरण डिविजन			
आनन्द प्रकाश निदेशक	24360923	201	dirrd@bprd.nic.in
इंद्राज सिंह उप महानिरीक्षक	24361238	203	dddev@bprd.nic.in

श्रीमती नीलम गेरा निजी सचिव	24360923	219	
श्रीमती वनीता यादव वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (इलै0)	24360308	209	ssoele@bprd.nic.in
सहायक निदेशक(विधि)		122	
सहायक निदेशक(एस.यू)		112	
डॉ रवि अम्बष्ट पुलिस उपाधीक्षक		184	jranalyst@bprd.nic.in
डॉ मंजूनाथ गौसल पुलिस उपाधीक्षक		208	
श्री वाई.के. शर्मा पुलिस उपाधीक्षक		215	
कर्नल रविन्द्र कुमार (से.नि.) पी.एस.ओ.		210	
प्रशिक्षण डिविजन		185/193	
डा. ईश कुमार महानिरीक्षक/निदेशक	24369924	124	dirtrg@bprd.nic.in
संदीप सक्सेना वैयक्तिक सहायक	24369924	120	
गजेन्द्र सिंह चौधरी उप महानिरीक्षक	24364838	105	ddtrg@bprd.nic.in
दिनेश वैयक्तिक सहायक	24364838	120	
एन.के. बैनर्जी अनुभाग अधिकारी	24365007	119	sotrg@bprd.nic.in
वी. के चौफला सहायक निदेशक	24365007	116	
बी.पी. ध्यानी सहायक निदेशक (भर्ती)		150	
हरविन्दर सिंह सहायक निदेशक (प्रशि.)		162	
ए.के. नायर पुलिस उपाधिक्षक			
अनुसंधान डिविजन			

राधाकृष्ण किनि ए निदेशक	24363054	104	dirrd@bprd.nic.in
श्रीमती मंजू कश्यप निजी सचिव	24363054	160	
बी.के. झा उपमहानिरीक्षक	24362418	114	ddres@bprd.nic.in
वैयक्तिक सहायक		145	
डॉ. तपन चक्रबर्ती सहायक निदेशक	24363872	101	adcc@bprd.nic.in
श्रीमती इंदू नास्वा वैयक्तिक सहायक	24363872	178	
के.के. मीणा कनिष्ठ विश्लेषक		178	
राष्ट्रीय पुलिस मिशन डिविजन		221	
अंशुमन यादव महानिरीक्षक	24361679	202	
राजू के. वैयक्तिक सहायक	24361679	217	
रिक्त उप महानिरीक्षक	24360802	204	
रिक्त पुलिस अधीक्षक	24361366	213	
वैयक्तिक सहायक		216	
सुल्तान अहमद पुलिस अधीक्षक	24361369	211	
विशेष यूनिट डिविजन			
श्रीमती निर्मल चौधरी निदेशक	24361361	135	dirspu@bprd.nic.in
श्रीमती उमा सिंह आशुलिपिक	24361361	179	
सुनील कपूर उप महानिरीक्षक	24369925	113	
दीपक बिष्ट वैयक्तिक सहायक	24369925	143	
प्रचार अधिकारी (रिक्त स्थान)	24362402	116	

गोपाल के.एन. चौधरी संपादक (इंडियन पुलिस जर्नल)	24362402	119	
दिवाकर शर्मा संपादक (हिन्दी)		115	
दीपचंद शर्मा सं.सहा.निदेशक (सां.)		102	
हरजीत सिंह वैयक्तिक सहायक		115	
पुस्तकालय	24365002	157	
प्रशासन डिविजन		163/139/196	
श्रीमती रीना मित्रा निदेशक	24369927	106	igadm@bprd.nic.in
श्रीमती रीता रॉय वैयक्तिक सहायक	24369927	167	patoigadm@bprd.nic.in
पंकज उप महानिरीक्षक	24361726	127	
एस. नेसन वैयक्तिक सहायक	24361726	142	
डॉ. धनीराम सहायक निदेशक	24362401	111	adadm@bprd.nic.in
एस.पी. गुप्ता निजी सचिव	24362401	117	
श्रीमती वी.बी.सुदर्शनन प्रशा. अधिकारी	24361663	222	ao@bprd.nic.in
अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष नं0			
गुरप्रीत सिंह अनुभाग अधिकारी (कैश)		152	cash@bprd.nic.in
जी. मूर्ति लेखाकार		151/194	acct@bprd.nic.in
ईपीएबीएक्स	24360371 24365009/2330		फैक्स सं0 011-24369825

			011-24362425
पुस्तकालय	24365002	257	
एस.के. वर्मा **स्टोर प्रभारी**		121	
कम्प्यूटर प्रकोष्ठ		140	compcell@bprd.nic.in
कैन्टीन		198	
रिकॉर्ड रूम		179	
गार्ड रूम		287	
कक्ष सं0 423		109	
प्रेषण अनुभाग		161/139	
कक्ष सं0 402		159	
जीरोक्स		195	
(फैक्स)	24362425/9825		
ईपीएबीएक्स	24360371	24365009/2330	
पु.अनु.वि.ब्यूरो **बाह्य यूनिटें**			
के.गु.प्र.स्कूल, **चंडीगढ**			
एस.पी.एस. वर्मा **प्रधानाचार्य** **36-ए सेक्टर, दक्षिण मार्ग, चडीगढ**	0172-2660312 0172-2602216 0172-2647465 (फैक्स)		
के.गु.प्र.स्कूल, **हैदराबाद**			
डॉ. पी.वी.के. प्रसाद **प्रधानाचार्य** **ओ.यू.कैम्पस,**	040-27038182 270 040-27038896		

रमान्थपुर, हैदराबाद			
के.गु.प्र.स्कूल, कोलकाता			
अन्जन चक्रबर्ती **प्रभारी प्रधानाचार्य** **के.गु.प्र.स्कू.,30-गोराचंद मार्ग, कोलकाता-14**	033-22841184 033-22843665 033-22844578 033-22866574		
के.गु.प्र.स्कूल, गाजियाबाद			
सुल्तान अहमद **प्रभारी प्रधानाचार्य,** **के.गु.प्र.स्कूल,** **सी0जी0ओ0-II परिसर,** **गाजियाबाद**	(फैक्स) 0120-2705697 0120-2705698		
के.गु.प्र.स्कूल, जयपुर			
बी.एस. राणा **प्रभारी प्रधानाचार्य** **ब्लॉक-ए,व बी, कमरा नं0 108,109,110, सेक्टर-10,विद्याघर नगर,** **के.गु.प्र.स्कूल जयपुर**	टेली फैक्स- 0141-2236098		
केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल			
श्री बी.बी. शर्मा **महानिरीक्षक/निदेशक** केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल			
श्री एम. शाहिद अबसार **उप महानिरीक्षक** **ए-4, ईदगाह हिल्स, जज कालोनी, भोपाल, (म.प्र.)**	0755-2900144 टेली फैक्सः 0755-2660770		

दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क (डेल नेट) तथा ग्रांड ज्यूरिक्स सी.डी. जोकि सुप्रीम कोर्ट केस कानून, अपराधी कानून, प्रत्यक्ष कर एवं कंपनी कानून आदि के द्वारा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पुस्तकालय सुविधा प्रदान करता है ।

ब्यूरो का पुस्तकालय, आन्तरिक पुस्तकालय आदान प्रदान योजना के अन्तर्गत दूसरे पुस्तकालयों को अध्ययन सामग्री एवं पुस्तकें प्रदान करता है ।

ब्यूरो का पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आगन्तुको के लिए खुला रहता है । पुस्तकालय शनिवार, रविवार एवं सरकारी अवकाशों पर बंद रहेगा ।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, एवं अन्य विवरण-

			कार्यालय दूरभाष नं0
1.	श्रीमती रीना मित्रा निदेशक (प्रशा0)	मुख्य लोक सूचना अधिकारी	011-24369927
2.	डॉ. धनी राम, सहायक निदेशक (प्रशा0)	सहायक लोक सूचना अधिकारी	011-24362401
3.	श्री एस.पी.एस. वर्मा प्रधानाचार्य, के.गु.प्र.स्कूल चंडीगढ़,	उपरोक्त	0172-2602216
4.	श्री अंजन चक्रवर्ती प्रधानाचार्य, के.गु.प्र.स्कूल कोलकाता,	उपरोक्त	033-22843665
5.	डॉ. पी.वी.के. प्रसाद, प्रधानाचार्य, के.गु.प्र.स्कूल हैदराबाद,	उपरोक्त	040-27038182

नये कार्यालयों के संपर्क विवरण-

श्री शाहिद अबसार, उप महानिरीक्षक, सी0ए0पी0टी0, भोपाल	0755-2660770,
श्री बी.एस. राणा, प्रभारी प्रधानाचार्य के.गु.प्र.स्कूल जयपुर	0141-2236098,
श्री सुल्तान अहमद, प्रभारी प्रधानाचार्य के.गु.प्र.स्कूल गाजियाबाद	0120-2705697-98